पूर्णराम बनाम बजरंग
मु.न. 2016/00018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमां नम्बर :– 2016/00018

निर्णय दिनांक :– 11.10.2021

1. पूरणराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी खोखर
2. सायरीदेवी पत्नी दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी खोखर
3. गीतादेवी पत्नी पूरणराम जाति मेघवाल निवासी खोखर
4. मदनलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी खोखर

.................वादीगण

बनाम

1. बजरंग पुत्र गणपत जाति भांबी निवासी बोरावड़ तह. मकराना
2. पूजादेवी पत्नी लिछमणराम जाति मेघवाल निवासी चारणवास तह. परबतसर
3. मुन्नीदेवी पत्नी भंवराराम जाति मेघवाल निवासी चारणवास तह. परबतसर
4. उप पंजीयक परबतसर
5. तहसीलदार, परबतसर

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– इस्तकरारहक, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री देवेन्द्र मालाकार अधिवक्ता, वादीगण
श्री अजीज खां अधिवक्ता, प्रतिवादी 1 से 3

निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र मालाकार ने यह वाद पेश किया हैं जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम खोखर के खसरा नम्बर 177, 178 कुल रकबा 4.40 हैक्टयर भूमि स्थित हैं, उक्त भूमि पूर्व खातेदारो की पुश्तैनी थी इस भूमि का वर्षो पूर्व बंटवारा कर लिया तथा अलग अलग काबिज हो गये। वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी 1 इस भूमि के खातेदार काश्तकार हैं, वादी पूरणाराम, सायरीदेवी, गीतादेवी प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी बजरंग का था। उक्त जमीन पूर्व खातेदारो से खरीद सुदा भूमि हैं जिसका उनके कब्जे अनुसार ही अलग अलग रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

मौके पर वादी पूरणाराम का कब्जा खसरा नम्बर 178/3 रकबा 0.9183 हैक्टयर, वादी मदनलाल का खसरा नम्बर 178/4 रकबा 0.1667 हैक्टयर वादी 2 सायरीदेवी के बंटवारे में खसरा नम्बर 178/1 रकबा 1.0850 हैक्टयर , वादी संख्या 3 गीतादेवी के कब्जे में खसरा नम्बर 178/4 रकबा 0.1667 हैक्टयर तथा प्रतिवादी बजरंग के बंटवारे में खसरा नम्बर 178 रकबा 1.085 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि का पूर्व खातेदारो ने अच्छी बुरी दूर नजदीक आने जाने की सारी सुविधाओं को मध्य नजर रखते हुए बंटवारा किया गया था उस समय कुआ सुखा हुआ था जिसमें पानी नहीं था इसलिये प्रतिवादी बजरंग ने इसमें अपना हिस्सा छोड़ दिया इसलिये प्रतिवादी बजरंग को पश्चिमी तरफ अधिक भूमि उसके हिस्से में दी गई था तथा कुआ वादीगण को पूर्व में बेचानकर्ताओं के हिस्से में रखा गया था जिसके बाद उन्होंने कुआ खुदवाया तथा पानी होने पर विधुत कनेक्शन करवाया जो वर्तमान में वादीगण के कब्जे में हैं वादीगण की इसका उपयोग उपभोग कर रहे है। जिसमें प्रतिवादी बजरंग का कोई हक हिस्सा नहीं हैं, लेकिन भूमि के पास से सड़क निकल जाने से प्रतिवादी के मन में लालच पैदा हो गया हैं तथा उसका कहना हैं कि इस भूमि के जो बंटवारा हो रखा हैं वह सही नहीं हैं बंटवारा वापस किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक खातेदार एको पूर्वी सड़क पर एप्रोच होना चाहिए इस प्रकार प्रतिवादी बजरंग नया बंटवारा करवाने पर आमादा हैं पूर्व में हो रखे बंटवारे के अनुसार प्रत्येक खातेदार को उत्तर में सड़क पर एप्रोच हैं लेकिन प्रतिवादी मानने का तैयार नहीं हैं उसने पहले स्वंय ने बंटवरा करते वक्त इस जमीन में अपना हिस्सा सबसे पश्चिम में खसरा नम्बर 178 जो नक्शे में दर्शाया हुआ हैं रकबा 1.085 हैक्टयर लेना स्वीकार किया है। प्रतिवादी 1 ने नाराज होकर इस भूमि का बैचान प्रतिवादी 2, 3 को कर दिया हैं, जिनका खातेदारी इन्द्राज नही हुआ हैं लेकिन प्रतिवादी 2, 3 भी इस बात पर अडे हुये हैं वह पश्चिमी हिस्सा जो उनको बजरंग से मिला वह नहीं रखेगें नया बंटवारा करायेगे। जिससे वादीगण को यह वाद लाना आवश्यक हो गया। वादीगण ने वाद पेश कर वाद के पैरा संख्या 4 में वर्णित अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर तथा प्रतिवादी 1 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी 2, 3 की खातेदारी दर्ज करते हुए अलग अलग खसरा नम्बर व होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 29.03.2016 को प्रतिवादी 4, 5 तथा दिनांक 13.02.2017 को प्रतिवादी 1 का सम्मन विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 26.02.2019 को वादीगण व प्रतिवादी 2 , 3 ने राजीनामा पेश कर वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया जाने पर वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कके राजस्व मण्डल अतमेर के नियम 18 से 21 के अनुरूप राजस्व मण्डल के निर्देश क्रमांकः रा.म./न्याय/स्था./प–51/2000/विविध/10546 दिनांक 5 अक्टूबर 2020 की पूर्ण पालना करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। आदेशानुसार तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांकः भू.अ./2021/1196 दिनांक 04.06.2021 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार पेश किया गया।

3. तहसीलदार परबतसर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव को पढ़ सुन सुनाया गया जिस सुन समझ कर उभय पक्षकारो के अधिवक्ताओ ने सही होना स्वीकार किया है तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार बंटवारा घोषित कर अन्तिम रूप से डिक्री किए जाने का निवेदन किया है। लेकिन खातेदारी में दर्ज हक हिस्से से किसी को कम व किसी को अधिक दिया गया है तथा गै.मु. कुआ व रास्ते की भूमि का भी बंटवारा भी कया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है, कुए एवं रास्ते के रूप में रखी गई भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं किया जा सकता है कुआ व रास्ता सभी सह खातेदारो का संयुक्त ही रहेगा जिससे तहसीलदार को पुनः बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर राजस्व रिकार्ड व मौके पर काबिज अनुसार उभय पक्षकारो की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके बाद पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प खोखर में नियत की गई, मौके पर तहसीलदार, परबतसर, भू.अ.निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा मौके पर उभय पक्षकारो की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिसको उभय पक्षकारान ने बंटवारा प्रस्ताव को पढ़ सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया है, तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.10.2021 के अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर अलग अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है। वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

प्रतिवादीगण सहमत है किसी प्रकार को कोई विवाद नहीं है। बंटवारा प्रस्ताव उभय पक्षकारो की उपस्थिति में तैयार किया गया है जिस पर उभय पक्षकारो का हस्ताक्षर रूबरू तसीलदार करवाये गये है। जिससे वादी का अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिकी किया जाता है कि ग्राम खोखर के खसरा नम्बर 177, 178 कुल रकबा 4.40 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी 1 का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी 2, 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, एवं तहसीलदार परबतसर द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.10.2021 अनुसार प्रस्तावित खसरा नम्बर 178 रकबा 1.10 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 2 व 3 की खातेदारी में तथा, खसरा नम्बर 178/1 रकबा 1.0635 हैक्टयर भूमि वादी संख्या 2 सायरीदेवी की खातेदारी में, खसरा नम्बर 178/2 रकबा 1.0635 हैक्टयर भूमि वादी संख्या 3 गीतादेवी की खातेदारी में व खसरा नम्बर 178/3 रकबा 0.92 हैक्टयर भूमि वादी संख्या 1 की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 178/4 रकबा 0.1760 हैक्टयर भूमि वादी संख्या 4 मदनलाल की खातेदारी में घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 177 रकबा 0.06 हैक्टयर गै.मु. कुआ व खसरा नम्बर 178/5 रकबा 0.0170 हैक्टयर भूमि सभी वादीगण व प्रतिवादी 2 से 3 की खातेदारी में संयुक्त रूप से दर्ज रहेगी। तदनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की अलग – अलग होल्डिंग कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.10.2021 डिकी का पार्ट रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिकी पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/10/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)